# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

**पीठासीन अधिकारी :— राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)**

**दायर दिनांक: 07.02.2025**

प्रकरण संख्याः 09/25
जीसीएमएस नं. 2025/27

**उनवान**

1 हरदेई पत्नि कुबेरसिंह 2 सिंह गजेन्द्र कुवेर 3 सिंह राकेश कुवेर 4 सिंह संदीप कुवेर पुत्रान कुवेरसिंह जातियान जाट नि. पथैना तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.।

——वादीगण

**बनाम**

1 राजकुमार 2 राजेश्वर पुत्रान नेकराम 3 राजरानी पत्नि राजकुमार 4 साधनादेवी पत्नि राजेश्वरसिंह जातियान जाट नि. पथैना तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.।

——प्रतिवादीगण

दावा विभाजन व हुक्म इम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.ए. 1955

अधिवक्ताः—

1 श्री छोटेलाल मीना ——वादीगण
2 श्री सज्जनसिंह ——प्रतिवादीगण

## <u>निर्णय दिनांक 12.03.2025</u>

वादीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता यह दावा अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.ए. के तहत पेश किया गया है। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आ.ख.नं. 1588 रकबा 0.15, 1589 रकबा 0.31, 2083 रकबा 1.04, 2245 रकबा 0.69, 521 रकबा 0.39, 524 रकबा 0.55, 535 रकबा 0.55, 538 रकबा 0.25, 1590 रकबा 0.43, 1916 रकबा 1.00, 3285 रकबा 0.32 हैक्टे. वाके ग्राम पथैना तह. भुसावर में स्थित है। जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 मुताबिक जमाबन्दी संवत 2075 लगायत 2078 में दर्ज हिस्से अनुसार काविज काश्तकार एवं खातेदार है तथा इसी प्रकार से मौके पर काविज रहकर शान्ति पूर्वक काश्त करते चले आ रहे है।

वादीगण द्वारा कानूनी विभाजन किये जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें।

हमने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा करायी गयी। नोटिस की ताईद में अप्रार्थीगण की ओर से वकालतनामा श्री सज्जनसिंह एड. द्वारा पेश किया गया तथा उभय पक्षकारान की ओर से राजीनामा पेश किया गया।

अधिवक्ता उभय पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का भली भांति अध्ययन किया गया तथा राजीनामा में वादीगण हरदेई पत्नि कुबेरसिंह, सिंह गजेन्द्र कुवेर, सिंह गजेन्द्र कुवेर, सिंह संदीप कुवेर पुत्रान कुबेरसिंह की पहचान अधिवक्ता छोटेलाल मीना एड. द्वारा की गई तथा प्रतिवादीगण राजकुमार, राजेश्वर पुत्रान नेकराम, राजरानी पत्नि राजकुमार, साधना देवी पत्नि राजेश्वर सिंह की पहचान अधिवक्ता सज्जनसिंह द्वारा की गई।

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०

उचित समझते है।

अतः हम दावा वादीगण राजीनामे के आधार पर डिक्री किया जाना उचित समझते है।
अतः वर विनाय राजीनामा वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है।
राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०